[2019] 8 एस सी आर 137

/

श्री श्री राम जानकी जी अस्थान तपोवन मंदर और ए. एन. आर.

बनाम

झारखंड और ओआरएस का राज्य। (2019 की सिविल अपील No.4003) 1 मई, 2019

/

**[**डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता**,** जे**.** जे**.]**

जाँच:देवता की भूमि का हस्तांतरण-प्रत्यर्थी संख्या 8 द्वारा हस्तांतरण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका-प्रत्यर्थी संख्या 8 द्वारा न्यासियों द्वारा कथित हस्तांतरण के संबंध में किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को कोई शिकायत नहीं की गई थी और न ही रिट याचिका में बताए गए किसी भी तथ्य की शिकायत करते हुए संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज की गई थी ताकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया शुरू की जा सके-उच्च न्यायालय ने कहा कि मूल न्यास विलेख में देवता की संपत्ति को हस्तांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन नया न्यास विलेख गलत उद्देश्य से तैयार किया गया था, ताकि देवता की संपत्ति को हड़प लिया जा सके और देवता की भूमि के अवैध हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाया जा सके-उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि बड़े पैमाने पर अवैधता थी जिसकी जांच की जानी चाहिए।बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 44 बोर्ड से पूर्व मंजूरी लेने के बाद किसी धार्मिक न्यास की अचल संपत्ति के हस्तांतरण की शक्ति प्रदान करती है-ऐसी अनुमति जिला न्यायाधीश के अनुमोदन के बाद न्यास की किसी भी संपत्ति को परिवर्तित करने के लिए है जैसा कि एस द्वारा प्रदान किया गया है।28 (जे) अधिनियम की धारा-इस प्रकार, उच्च न्यायालय को देवता की भूमि के हस्तांतरण के कार्य पर संदेह पैदा करने के लिए उचित नहीं ठहराया गया था-देवता में संपत्ति का निहित होना एक धार्मिक दान है, लेकिन इसमें कोई सार्वजनिक तत्व नहीं है, जिसकी शिकायत जनहित में दायर एक रिट याचिका में की जा सकती है-उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर सीबीआई द्वारा जांच का निर्देश देते हुए एक निष्कर्ष दिया कि ट्रस्ट द्वारा अनुमति गलत तरीके से प्रस्तुत और धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी-उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलत निर्देश दिया

/

/

/

/

/

/

137 ए.

138 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 8 एस. सी. आर.

स्वयं सी. बी. आई. को एक ऐसे मामले में जाँच करने का निर्देश देते हुए जो किसी धार्मिक न्यास या देवता की संपत्ति बेचने के न्यासियों के अधिकारों से संबंधित है, जिससे नागरिक विवाद पैदा होता है-उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है-बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 -धारा 44-जनहित याचिका-न्यास-धार्मिक दान।

भारत का संविधानःसातवीं अनुसूची, सूची II प्रविष्टि 1 और 2-देवता की भूमि का हस्तांतरण-उक्त हस्तांतरण को चुनौती-उच्च न्यायालय ने माना कि बड़े पैमाने पर अवैधता थी जिसकी जांच करने की आवश्यकता थी और सीबीआई को जांच करने का निर्देश दिया-आयोजितःसार्वजनिक व्यवस्था (प्रविष्टि 1) और पुलिस (प्रविष्टि 2) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो में आने वाला राज्य का विषय है-यह राज्य पुलिस की जांच एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में किए गए सभी अपराधों की जांच करे-जांच केवल असाधारण परिस्थितियों में ही सी. बी. आई. को सौंपी जा सकती है-इस तरह की शक्ति का प्रयोग अपराध की जटिलताओं और प्रकृति की जांच किए बिना नियमित तरीके से नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए-न्यास-धार्मिक निधि।

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** उच्च न्यायालय को धार्मिक निकायों की संपत्ति की कथित गलत बिक्री के संबंध में इस तरह की जनहित याचिका पर विचार करने से बचना चाहिए था।बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम**, 1950** की धारा **44** बोर्ड से पूर्व मंजूरी लेने के बाद किसी धार्मिक न्यास की अचल संपत्ति के हस्तांतरण की शक्ति प्रदान करती है।इस तरह की अनुमति अधिनियम की धारा **28 (**जे**)** द्वारा प्रदान की गई जिला न्यायाधीश की मंजूरी के बाद न्यास की किसी भी संपत्ति को परिवर्तित करने के लिए है। अपीलार्थियों का रुख यह है कि उन्होंने अधिनियम द्वारा अनुध्यात अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और विवेकपूर्ण प्रबंधन के कार्य के रूप में इस तरह की मंजूरी मांगी गई है।इसलिए, उच्च न्यायालय को देवता की भूमि के हस्तांतरण के कार्य पर संदेह पैदा करना उचित नहीं लगा।**[**पैरा **10,11] [143**-सी-ई**]**

/

/

**2.** उच्च न्यायालय  द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि देवता किसी भी मामले में अपनी भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकता है**,** मान्य नहीं है।यह व्यापक टिप्पणी कि आरोप सरकार और बोर्ड के खिलाफ हैं**,** जिसमें सरकारी अधिकारी शामिल हैं**;** इसलिए**,** मामले की जांच सी**.** बी**.** आई**.** द्वारा किए जाने की आवश्यकता है**,** पूरी तरह से असमर्थनीय है।

/

/

139

श्री श्री राम जानकी जी अस्थान तपोवन मंदर बनाम झारखंड राज्य ए.

और सरकार और/या बोर्ड के खिलाफ ऐसी व्यापक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी।सरकार में कार्य विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है और कार्यपालिका के कार्य में अंतर्निहित नियंत्रण और संतुलन होता है।इसलिए**,** केवल इसलिए कि राज्य सरकार के एक पदाधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है**,** एक आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करेगा।इस प्रकार उच्च न्यायालय  ने देवता की संपत्ति की बिक्री के मामले में सी**.** बी**.** आई**.** द्वारा जांच का निर्देश देने में अपने अधिकार क्षेत्र से बहुत आगे की यात्रा की है।इसके अलावा**,** उच्च न्यायालय  ने धार्मिक न्यास की संपत्ति के संबंध में स्थानीय पुलिस को कोई शिकायत किए बिना निर्देश जारी किए हैं।**[**पैरा **19] [149**-ई-जी**]**

/

/

**3.** लोक व्यवस्था **(**प्रविष्टि **1)** और पुलिस **(**प्रविष्टि **2)** संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची **2** में आने वाला राज्य का विषय है।यह राज्य पुलिस की जांच एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में किए गए सभी अपराधों की जांच करे।पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों में ही उसमें निर्दिष्ट शर्तों की संतुष्टि पर जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी जा सकती है।इस तरह की शक्ति का उपयोग जटिलताओं**,** अपराध की प्रकृति और कुछ समय के लिए राज्य की जांच एजेंसी के उच्च अधिकारियों से जुड़ी जांच में धीमी प्रगति की जांच किए बिना नियमित तरीके से नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए।**[**पैरा **20] [150**-ए-सी**]**

/

/

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य (2010) 3 एस. सी. सी. 571:[2010] 2 एस. सी. आर. 979-अनुसरण किया गया।

/

सचिव, लघु सिंचाई और ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा, यू. पी. और अन्य बनाम सहंगू राम आर्य और अन्य (2002) 5 एस. सी. सी. 521; सुजाता रवि किरण बनाम राज्य

केरल और अन्य (2016) 7 एस. सी. सी. 597:[2016] 3

/

एससीआर **492;** के**.** वी**.** राजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक**,** सीबीसीआईडी दक्षिण क्षेत्र**,** चेन्नई और अन्य **(2013) 12**

एससीसी 480:[ 2013] 9 एससीआर 199; बिमल गुरुंग बनाम भारत संघ (2018) 15 एससीसी 480:[2018] 4 एससीआर 843;

टी. सी. थंगाराज बनाम वी. एंगम्मल और अन्य (2011) 12

एससीसी 328:[2011] 9 एस. सी. आर. 647-संदर्भित।.

/



मामला विधि संदर्भ **[2010] 2** एस**.** सी**.** आर**. 979** का पालन किया गया

पैरा **12 (2002) 5** एस**.** सी**.** सी**. 521** पैरा **13 [2016] 3** एस**.** सी**.** आर**. 492** पैरा **15 [2013] 9** एस**.** सी**.** आर**. 199** पैरा **16 [2018] 4** एस**.** सी**.** आर**. 843** पैरा **17 [2011] 9** एस**.** सी**.** आर**. 647** पैरा **18**

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2019 की सिविल अपील संख्या 4003

2017 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 1590 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 07.06.2017 के निर्णय और आदेश से

जी. गुरुकृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, कुमार अनुराग सिंह, जैन ए. खान, कुमार शिवम, जयकृष्णन सी. डी., Ms.Tulika मुखर्जी, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, अजीत के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता।सुश्री रंजना नारायण, राजेश रंजन, प्रवीण, सुश्री सौदामिनी शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, मुकेश कुमार मारोरिया, मनीष कुमार सरन, आर. कृष्णा, तपेश कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, कृष्णानंद पांडे, अमिताभ वर्मा, बीरेंद्र बिक्रम, बांके बिहारी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय  का निर्णय  इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे. 1.वर्तमान अपील रांची में झारखंड उच्च न्यायालय  द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो को जल्द से जल्द जांच करने और उचित कार्रवाई करने और अधिमानतः छह महीने के भीतर जांच को समाप्त करने का निर्देश देने के आदेश के खिलाफ निर्देशित है।उच्च न्यायालय  ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

/

“……इस न्यायालय  का प्रथम दृष्टया मानना है कि देवता की भूमि को किसी भी मामले में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था।इस बड़े पैमाने पर अवैधता की जांच की जानी चाहिए।अब प्रश्न  यह है कि ऐसा कौन करेगा?इस मामले में जो जमीन और ट्रस्ट शामिल है, वह रांची की है। आरोप सरकार और बोर्ड के खिलाफ है।बोर्ड ए

/

/

141

श्री श्री राम जानकी जी अस्थान तपोवन

मंदिर बनाम झारखंड राज्य [हेमंत गुप्ता, जे.]

इसमें सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं।इस मामले में, एक अन्य मुद्दा सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से मानचित्र को मंजूरी देना है।हम पाते हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि एक जनहित याचिका में 2011 की डब्ल्यू. पी. (पी. आई. एल.) संख्या 1531 (हर नारायण लखोटिया बनाम। झारखंड राज्य और अन्य) इस न्यायालय  ने सी. बी. आई. को रांची के कई भवनों के संबंध में ऐसी मंजूरी देने में आपराधिकता की जांच/जांच करने का निर्देश दिया।उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय  ने बरकरार रखा है।यह भी ऐसे ही मामलों में से एक है, जिसकी जांच की आवश्यकता है।

/

16. इस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय  महसूस करता है कि यह मामला आपराधिकता भाग की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी सौंपा जाए।इसमें दिनांकित न्यास विलेख के निर्माण, भूमि के हस्तांतरण/रूपांतरण, मानचित्रों की अनुमति और अन्य सभी आनुषंगिक मुद्दों से जुड़े पहलू और इरादे भी शामिल होंगे। "

/

2. उक्त निर्देश इस निष्कर्ष पर जारी किए गए कि रांची में श्री श्री राम जानकी जी अस्थान तपोवन मंदिर 1 की संपत्ति ट्रस्ट के लेखक द्वारा श्री राम जानकी तपोवन मंदिर ट्रस्ट 2 की स्थापना के लिए बनाए गए ट्रस्ट डीड के आदेश के खिलाफ हस्तांतरित की गई है।उक्त न्यास का पुनर्गठन पंजीकृत विलेख के आधार पर 12.05.1987 पर किया गया था।इसके अलावा, 20.09.2005 दिनांकित एक अन्य विलेख द्वारा, न्यास का फिर से पुनर्गठन किया गया।

/

/

3. उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 8 द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर विचार किया और कहा कि मूल न्यास विलेख में देवता की संपत्ति के हस्तांतरण/बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन गलत उद्देश्य से, वर्ष 2005 में देवता की संपत्ति को हड़पने और देवता की भूमि के अवैध हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए नया न्यास विलेख तैयार किया गया था।

/

4. उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश ट्रस्ट और मंदिर के पुजारी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय हैं।तर्क यह है कि देवता की संपत्ति के विकास और हस्तांतरण का प्रावधान है।ट्रस्ट की कुछ संपत्तियों का स्थानीय निवासियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा था और बेहतर वापसी और धन बढ़ाने के लिए संपत्तियों का हस्तांतरण किया गया था।बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से उचित मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

/

1 मंदिर 2 ट्रस्ट ए

/

142

/

[2019] 8 एस सी आर।

और यह कि विद्वान न्यायिक आयुक्त ने अचल संपत्ति के हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है।

5. उच्च न्यायालय ने पाया कि संपत्ति 1948 के न्यास विलेख द्वारा देवता को प्रदान की गई थी और न्यासी उसी के संरक्षक बन गए थे।1987 के बाद के न्यास विलेख ने न्यासियों को मंदिर या देवता की भूमि को बेचने या स्थानांतरित करने या बसाने से फिर से रोक दिया।1948 और 1987 का न्यास विलेख महंत श्री जानकी जीवन शरण द्वारा लिखा गया था, लेकिन बाद में एक नया न्यास विलेख बनाया गया है।महंत श्री राम शरण दास ने उक्त न्यास विलेख को पंजीकृत किया, हालांकि

इसके संस्थापक स्वर्गीय जानकी जीवन शरण थे।उक्त न्यास विलेख में एक खंड है जिसके द्वारा भूमि संपत्ति को बेचा जा सकता है।

/

/

6. उच्च न्यायालय  ने पाया कि वर्ष 2006 में झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की अनुमति वर्ष 1994 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित थी जो गलत निरूपण और धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गई थी।

/

7. रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय  के जनहित क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों का दावा किया गया हैः-

“(i) श्री राम जानकी तपोवन मंदिर न्यास से संबंधित संपत्ति के अवैध हस्तांतरण के मामले में राज्य की एजेंसी के अलावा किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए एक उपयुक्त रिट (ओं)/आदेश (ओं)/निर्देश (ओं) या अनिवार्य प्रकृति का एक रिट जारी करने के लिए क्योंकि न्यास के सदस्यों द्वारा न्यास से संबंधित भूमि की बिक्री के साथ-साथ भूमि पर भवन के निर्माण के लिए सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से न्यास की पर्याप्त संपत्तियों का दुरुपयोग किया गया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यास की मूल्यवान संपत्ति को अवैध रूप से उन निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया है जिन्हें राज्य के अधिकांश उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है। "

/

/

8. जनहित याचिका प्रत्यर्थी संख्या 8 द्वारा दायर की गई थी जिसमें खुद को देश के एक जिम्मेदार और सतर्क नागरिक के रूप में पेश किया गया था और आस्था से हिंदू होने के नाते, अपने विश्वास के अनुसार देवता के हित की रक्षा करने के लिए पवित्र जिम्मेदारी के अंतर्गत ।प्रत्यर्थी संख्या 8 ने संबंधित पुलिस थाने के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है।

/

/

रिट याचिका में बताए गए तथ्यों में से किसी एक की शिकायत ताकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत  जांच की प्रक्रिया शुरू की जा सके।रिट याचिकाकर्ता ने न्यासियों द्वारा कथित स्थानान्तरण के संबंध में किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई शिकायत नहीं की है।

9. उच्च न्यायालय  ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया है जिसमें लापरवाही से एक निष्कर्ष वापस किया गया है कि ट्रस्ट द्वारा गलत निरूपण और धोखाधड़ी से अनुमति प्राप्त की गई थी।उच्च न्यायालय  ने फिर से तथ्य के विवादित प्रश्नों पर निष्कर्षों को वापस करने में सावधानी नहीं बरती और वह भी एक जनहित याचिका में।

/

10. देवता को संपत्ति सौंपना एक धार्मिक दान है लेकिन इसमें कोई सार्वजनिक तत्व नहीं है, जिसकी शिकायत जनहित में दायर रिट याचिका में की जा सकती है।हम इस तथ्य से अधिक कुछ नहीं कहते हैं कि उच्च न्यायालय  को धार्मिक निकायों की संपत्ति की कथित गलत बिक्री के संबंध में इस तरह की जनहित याचिका पर विचार करने से बचना चाहिए था।

/

/

11. बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 4 की धारा 44 बोर्ड से पूर्व मंजूरी लेने के बाद किसी धार्मिक न्यास की अचल संपत्ति के हस्तांतरण की शक्ति प्रदान करती है।इस तरह की अनुमति अधिनियम की धारा 28 (जे) द्वारा प्रदान की गई जिला न्यायाधीश की मंजूरी के बाद न्यास की किसी भी संपत्ति को परिवर्तित करने के लिए है। अपीलार्थियों का रुख यह है कि उन्होंने अधिनियम द्वारा अनुध्यात अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और विवेकपूर्ण प्रबंधन के कार्य के रूप में इस तरह की मंजूरी मांगी गई है।इसलिए, उच्च न्यायालय  को देवता की भूमि के हस्तांतरण के कार्य पर संदेह पैदा करना उचित नहीं लगा।

/

12. इस प्रश्न  की जांच की जानी चाहिए कि क्या उच्च न्यायालय  वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करने के लिए सी. बी. आई. को निर्देश दे सकता है।संविधान पीठ ने अपने निर्णय  में बताया कि

/

पश्चिम बंगाल और अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य **5** ने

सी. बी. आई. की सहमति के बिना किसी राज्य में आपराधिक अपराध की जांच करने के उसके अधिकारों के बारे में प्रश्न ।इस न्यायालय  ने संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची द्वितीय की प्रविष्टि 2 की जांच की।यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक राज्य के नियमित पुलिस बल को राज्य के बाहर किसी भी क्षेत्र में शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए प्रदान करने की संघ की विधायी शक्ति का प्रयोग केवल राज्य के बाहर किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है

/

3 कोड

4 अधिनियम

5 (2010) 3 एससीसी 571 ए

/

144

/

[2019] 8 एस सी आर।

उस विशेष राज्य की सरकार की सहमति से जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन उसे इन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग पर कुछ स्व-अधिरोपित सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए।इस असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम, सावधानी और असाधारण स्थितियों में किया जाना चाहिए जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और जांच में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ऐसा आदेश आवश्यक है।निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः-

/

/

“70. मामला छोड़ने से पहले, हम इस बात पर जोर देना आवश्यक समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के बावजूद, कोई भी आदेश पारित करते समय, न्यायालयों को इन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग पर कुछ स्व-लागू सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए।उक्त अनुच्छेदों के अंतर्गत शक्ति की प्रचुरता के लिए इसके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।जहां तक किसी मामले में जांच करने के लिए सी. बी. आई. को निर्देश जारी करने का प्रश्न है, हालांकि यह तय करने के लिए कोई कठोर दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन बार-बार यह दोहराया गया है कि इस तरह का आदेश नियमित रूप से या केवल इसलिए पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि किसी पक्ष ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं।इस असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम, सावधानी और असाधारण स्थितियों में किया जाना चाहिए जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और जांच में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ऐसा आदेश आवश्यक हो सकता है।अन्यथा सी. बी. आई. बड़ी संख्या में मामलों से भर जाएगी और

सीमित संसाधनों के साथ, गंभीर मामलों की ठीक से जांच करना भी मुश्किल हो सकता है और इस प्रक्रिया में असंतोषजनक जांच के साथ अपनी विश्वसनीयता और उद्देश्य खो सकता है। "निर्णय 1 निर्णय 3 निर्णय .निर्णय न्यायालय निर्णय निर्णय ननिर्णय ेनिर्णय निर्णय पनिर्णय हनिर्णय लनिर्णय ेनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय दनिर्णय ोनिर्णय निर्णय ननिर्णय ्निर्णय यनिर्णय ानिर्णय यनिर्णय ानिर्णय धनिर्णय ीनिर्णय शनिर्णय ोनिर्णय ंनिर्णय निर्णय कनिर्णय ीनिर्णय निर्णय पनिर्णय ीनिर्णय ठनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय फनिर्णय ैनिर्णय सनिर्णय लनिर्णय ेनिर्णय निर्णय कनिर्णय ोनिर्णय निर्णय मनिर्णय ंनिर्णय जनिर्णय ूनिर्णय रनिर्णय ीनिर्णय निर्णय दनिर्णय ीनिर्णय

/

/

/

/

सचिव, लघु सिंचाई और ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा, यू. पी. और अन्य बनाम सहंगू राम आर्य और अन्य 6

जिसअंतर्गत यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के अधीन

6 (2002) 5 एससीसी 521 ए

/

145

श्री श्री राम जानकी जी अस्थान तपोवन

मंदिर बनाम झारखंड राज्य [हेमंत गुप्ता, जे.]

संविधान सी. बी. आई. द्वारा जांच करने का निर्देश दे सकता है लेकिन इस तरह की शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में किया जा सकता है जहां प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि ऐसी जांच की आवश्यकता है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभिवचनों में ऐसी सामग्री होना पर्याप्त नहीं है।न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार में किसी व्यक्ति का यह पता लगाने का अधिकार शामिल है कि क्या उसने कोई अपराध किया है या वह कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में रह रहा है।निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:- “5. जबकि कोई भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सी. बी. आई. द्वारा जांच का निर्देश देने की उच्च न्यायालय की शक्ति पर विवाद नहीं कर सकता है, उक्त शक्ति का उपयोग केवल उन मामलों में किया जा सकता है जहां प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर आने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि ऐसी जांच की आवश्यकता है।दलीलों में ऐसी सामग्री होना पर्याप्त नहीं है।इसके विपरीत, ऐसे

अभिवचनों पर विचार करने पर उच्च न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता है कि उसके समक्ष मौजूद सामग्री सी. बी. आई. द्वारा ऐसी जांच का निर्देश देने के लिए पर्याप्त है। यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसका सामान्य कारण 7 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 174 पर उक्त निर्णय में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया हैः(एस. सी. सी. पी. 750, पैरा 174)

/

/

/

“174. दूसरा निर्देश, अर्थात् सी. बी. आई. को 'किसी अन्य अपराध' की जांच करने का निर्देश पूरी तरह से गलत है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।जाहिर है, जांच के लिए निर्देश केवल तभी दिया जा सकता है जब प्रथम दृष्टया कोई अपराध किया गया हो या किसी व्यक्ति की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्थापित हो, लेकिन सीबीआई को यह जांच करने का निर्देश दिया जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं, कानूनी रूप से नहीं दिया जा सकता है।इस तरह का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गारंटीकृत 'जीवन' और 'स्वतंत्रता' की अवधारणा और दर्शन के विपरीत होगा।यह निर्देश इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों की पूरी तरह से अवहेलना है जिसमें 'जीवन' की अवधारणा को इस तरह से समझाया गया है जिसने अनुच्छेद 21 के अक्षरों में 'जीवन' को शामिल किया है। "

/

/

/

6. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से यह देखा गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में किसी व्यक्ति का यह पता लगाने का अधिकार शामिल है कि क्या उसे पुलिस या सी. बी. आई. द्वारा परेशान किए बिना जीने का अधिकार है।

7 (1999) 6 एससीसी 667 ए

/

कोई अपराध किया है या कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में रह रहा है।इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा जांच का निर्देश देने का निर्णय केवल तभी किया जा सकता है जब उच्च न्यायालय  रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी सामग्री सी. बी. आई. या किसी अन्य समान एजेंसी द्वारा जांच का आह्वान करने वाले प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा करती है, और ऐसा नियमित रूप से या केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोई पक्ष ऐसे कुछ आरोप लगाता है।तत्काल मामले में, हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय  एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे बिना कि जांच का निर्देश देने के लिए एक प्रथम दृष्टया स्थापित मामला है, "अगर" और "लेकिन" के आधार पर आगे बढ़ा है और यह उचित समझा है कि जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। इस संबंध में, हम सोचते हैं कि यह विधि  द्वारा आवश्यक नहीं है जैसा कि इस न्यायालय  द्वारा निर्धारित किया गया है

/

/

सामान्य कारण का मामला। "

14. यह उक्त निष्कर्ष हैं, जिन्हें विशेष रूप से अनुमोदित किया गया था

पश्चिम बंगाल राज्य (ऊपर) में संविधान पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

/

“71. लघु सिंचाई और ग्रामीण इंजीनियरिंग में।सर्विसेज, यू. पी. बनाम

सहंगू राम आर्य इस अदालत ने कहा था कि सी. बी. आई. द्वारा जांच का निर्देश देने वाला आदेश तभी पारित किया जाना चाहिए जब उच्च न्यायालय , रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी सामग्री सी. बी. आई. या किसी अन्य समान एजेंसी द्वारा जांच की मांग करने वाले प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा करती है।हम सम्मानपूर्वक इन टिप्पणियों से सहमत हैं। "

/

निर्णय **1** निर्णय **5** निर्णय **.**निर्णय  निर्णय तनिर्णय ीनिर्णय ननिर्णय  निर्णय ननिर्णय ्निर्णय यनिर्णय ानिर्णय यनिर्णय ानिर्णय धनिर्णय ीनिर्णय शनिर्णय ोनिर्णय ंनिर्णय  निर्णय कनिर्णय ीनिर्णय  निर्णय पनिर्णय ीनिर्णय ठनिर्णय  निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय  निर्णय फनिर्णय ैनिर्णय सनिर्णय लनिर्णय ेनिर्णय  निर्णय कनिर्णय ोनिर्णय  निर्णय सनिर्णय ुनिर्णय जनिर्णय ानिर्णय तनिर्णय ानिर्णय  निर्णय रनिर्णय वनिर्णय िनिर्णय  निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय  निर्णय रनिर्णय ूनिर्णय पनिर्णय  निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय  निर्णय रनिर्णय िनिर्णय पनिर्णय ोनिर्णय रनिर्णय ्निर्णय टनिर्णय  निर्णय कनिर्णय िनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय  निर्णय गनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय

किरण बनाम केरल राज्य और अन्य **8** ने माना कि असाधारण शक्ति

संवैधानिक न्यायालयों द्वारा सी. बी. आई. को किसी मामले में जाँच करने का निर्देश देने का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में शायद ही कभी किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब जाँच एजेंसी या राष्ट्रीय हित में विश्वास की कमी हो।इस न्यायालय ने निम्नलिखित के तहत निर्णय दिया:-

/

**"10.** इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए

लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति 9, के लिए निर्देश

इस न्यायालय ने के. सरवनन मामले में सी. बी. आई. द्वारा जांच को अस्वीकार कर दिया था।

/

करुप्पासामी बनाम टी. एन. 10 राज्य और सुदिप्त लेंका बनाम ओडिशा राज्य 11.

8 (2016) 7 एस. सी. सी. 597

9 राज्य डब्ल्यू. बी. बनामलोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति (ऊपर)

10 (2014) 10 एससीसी 406 11 (2014) 11 एससीसी 527 ए

/

147

श्री श्री राम जानकी जी अस्थान तपोवन

मंदिर बनाम झारखंड राज्य [हेमंत गुप्ता, जे.]

11. हाथ में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, हमारा विचार है कि हाथ में मामले में राज्य पुलिस/राज्य पुलिस अधिकारियों की विशेष टीम से जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने का निर्देश नहीं है। जिन तथ्यों और परिस्थितियों में अपराध किए जाने का आरोप है, उनकी राज्य पुलिस द्वारा बेहतर जांच की जा सकती है।हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम केरल राज्य को मामले की जांच के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के पद से कम के अधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन करने का निर्देश देना उचित समझते हैं। "निर्णय 1 निर्णय 6 निर्णय .निर्णय निर्णय तनिर्णय ीनिर्णय ननिर्णय निर्णय अनिर्णय ननिर्णय ्निर्णय यनिर्णय निर्णय ननिर्णय ्निर्णय यनिर्णय ानिर्णय यनिर्णय ानिर्णय धनिर्णय ीनिर्णय शनिर्णय ोनिर्णय ंनिर्णय निर्णय कनिर्णय ीनिर्णय निर्णय पनिर्णय ीनिर्णय ठनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय फनिर्णय ैनिर्णय सनिर्णय लनिर्णय ेनिर्णय निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय .निर्णय निर्णय वनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय

/

/

राजेन्द्रन बनाम पुलिस अधीक्षक, सी. बी. सी. आई. डी. दक्षिण क्षेत्र

चेन्नई और अन्य 12, यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही राज्य की जांच एजेंसी से किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को जांच हस्तांतरित करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।न्यायालय ने ऐसे उदाहरण दिए जैसे कि राज्य प्राधिकरणों के उच्च अधिकारी शामिल हैं, या आरोप स्वयं जांच एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ है जिससे वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं, और जांच में विश्वास पैदा कर सकते हैं।

/

निर्णय 1 निर्णय 7 निर्णय .निर्णय निर्णय बनिर्णय िनिर्णय मनिर्णय लनिर्णय निर्णय गनिर्णय ुनिर्णय रनिर्णय ुनिर्णय ंनिर्णय गनिर्णय निर्णय बनिर्णय ननिर्णय ानिर्णय मनिर्णय निर्णय भनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय तनिर्णय निर्णय सनिर्णय ंनिर्णय घनिर्णय निर्णय 1 निर्णय 3 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय रनिर्णय ूनिर्णय पनिर्णय निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय निर्णय रनिर्णय िनिर्णय पनिर्णय ोनिर्णय रनिर्णय ्निर्णय टनिर्णय निर्णय कनिर्णय िनिर्णय एनिर्णय निर्णय गनिर्णय एनिर्णय निर्णय दनिर्णय ोनिर्णय निर्णय अनिर्णय ननिर्णय ्निर्णय यनिर्णय निर्णय ननिर्णय ्निर्णय यनिर्णय ानिर्णय यनिर्णय ानिर्णय धनिर्णय ीनिर्णय शनिर्णय ोनिर्णय ंनिर्णय निर्णय कनिर्णय ीनिर्णय निर्णय पनिर्णय ीनिर्णय ठनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय फनिर्णय ैनिर्णय सनिर्णय लनिर्णय ेनिर्णय निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय ,निर्णय निर्णय इनिर्णय सनिर्णय न्यायालय निर्णय निर्णय ननिर्णय ेनिर्णय निर्णय कनिर्णय हनिर्णय ानिर्णय निर्णय कनिर्णय िनिर्णय निर्णय इनिर्णय सनिर्णय निर्णय तनिर्णय रनिर्णय हनिर्णय निर्णय कनिर्णय ीनिर्णय निर्णय जनिर्णय ानिर्णय ंनिर्णय चनिर्णय निर्णय कनिर्णय ोनिर्णय निर्णय सनिर्णय ्निर्णय थनिर्णय ानिर्णय ननिर्णय ानिर्णय ंनिर्णय तनिर्णय रनिर्णय िनिर्णय तनिर्णय निर्णय कनिर्णय रनिर्णय ननिर्णय ेनिर्णय निर्णय कनिर्णय ीनिर्णय निर्णय शनिर्णय कनिर्णय ्निर्णय तनिर्णय िनिर्णय निर्णय दनिर्णय ुनिर्णय रनिर्णय ्निर्णय लनिर्णय भनिर्णय निर्णय औनिर्णय रनिर्णय निर्णय अनिर्णय सनिर्णय ानिर्णय धनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय णनिर्णय निर्णय मनिर्णय ानिर्णय मनिर्णय लनिर्णय ोनिर्णय ंनिर्णय निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय निर्णय हनिर्णय ोनिर्णय ननिर्णय ीनिर्णय निर्णय चनिर्णय ानिर्णय हनिर्णय िनिर्णय एनिर्णय निर्णय जनिर्णय हनिर्णय ानिर्णय ंनिर्णय न्यायालय निर्णय निर्णय पनिर्णय कनिर्णय ्निर्णय षनिर्णय ोनिर्णय ंनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय बनिर्णय ीनिर्णय चनिर्णय निर्णय ननिर्णय ्निर्णय यनिर्णय ानिर्णय यनिर्णय निर्णय कनिर्णय रनिर्णय ननिर्णय ेनिर्णय निर्णय औनिर्णय रनिर्णय निर्णय जनिर्णय ननिर्णय तनिर्णय ानिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय मनिर्णय ननिर्णय निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय निर्णय वनिर्णय िनिर्णय शनिर्णय ्निर्णय वनिर्णय ानिर्णय सनिर्णय निर्णय पनिर्णय ैनिर्णय दनिर्णय ानिर्णय निर्णय कनिर्णय रनिर्णय ननिर्णय ेनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय लनिर्णय िनिर्णय एनिर्णय निर्णय इनिर्णय सनिर्णय ेनिर्णय निर्णय आनिर्णय वनिर्णय शनिर्णय

ुनिर्णय यनिर्णय कनिर्णय  निर्णय सनिर्णय मनिर्णय झनिर्णय तनिर्णय ानिर्णय  निर्णय हनिर्णय ैनिर्णय ।निर्णय यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः-  “29. इस प्रकार विधि  अच्छी तरह से तय है कि जांच को अन्य जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने की शक्ति का उपयोग दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए जहां न्यायालय  को जनता के दिमाग में विश्वास पैदा करने के लिए पक्षों के बीच न्याय करना आवश्यक लगता है, या जहां राज्य पुलिस द्वारा जांच में विश्वसनीयता का अभाव है।इस तरह की शक्ति का प्रयोग दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए।के. वी. राजेंद्रन बनाम सुपत में।इस न्यायालय  ने कुछ परिस्थितियों का उल्लेख किया है जहां न्यायालय  राज्य पुलिस से जांच को सी. बी. आई. को हस्तांतरित करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है जैसे किः( (i) जहाँ राज्य के उच्च अधिकारी

/

/

/

12 (2013) 12 एससीसी 480 13 (2018) 15 एससीसी 480 ए

/



अधिकारी शामिल हैं, या (ii) जहां आरोप स्वयं जांच एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ है जिससे उन्हें जांच को प्रभावित करने की अनुमति मिलती है, या (iii) जहां जांच प्रथम दृष्टया दागी/पक्षपाती पाई जाती है। "

निर्णय **1** निर्णय **8** निर्णय **.**निर्णय  निर्णय इनिर्णय सनिर्णय सनिर्णय ेनिर्णय  निर्णय पनिर्णय हनिर्णय लनिर्णय ेनिर्णय  निर्णय दनिर्णय ोनिर्णय  निर्णय ननिर्णय ुनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय यनिर्णय ानिर्णय धनिर्णय ीनिर्णय शनिर्णय ोनिर्णय ंनिर्णय  निर्णय कनिर्णय ीनिर्णय निर्णय पनिर्णय ीनिर्णय ठनिर्णय  निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय  निर्णय फनिर्णय ैनिर्णय सनिर्णय लनिर्णय ेनिर्णय  निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय  निर्णय टनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय  निर्णय सनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय  निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय  निर्णय रनिर्णय ूनिर्णय पनिर्णय  निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय  निर्णय रनिर्णय िनिर्णय पनिर्णय ोनिर्णय रनिर्णय ुनिर्णय टनिर्णय  निर्णय कनिर्णय िनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय  निर्णय गनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय  निर्णय थनिर्णय ानिर्णय ।निर्णय

थंगाराज बनाम वी**.** एंगम्मल और अन्य **14,** इस न्यायालय  ने पाया कि केवल

/

चूंकि शिकायत पुलिस अधिकारी के खिलाफ थी, इसलिए जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को नहीं सौंपी जानी चाहिए।न्यायालय  ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"8. दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने रमेश कुमारी बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 15 मामले में इस न्यायालय  की दो-न्यायाधीशों की पीठ के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें इस न्यायालय  ने सी. बी. आई. को एक मामला दर्ज करने और अपीलार्थी की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया क्योंकि शिकायत पुलिस अधिकारी के खिलाफ थी और न्यायालय  का विचार था कि अगर मामला दर्ज किया जाता है और सी. बी. आई. जैसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की जाती है तो न्याय का हित बेहतर होगा।

/

/

9. रमेश कुमारी बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) मामले में इस न्यायालय  की दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को अब इसके संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में पढ़ना होगा।

डब्ल्यू. बी. बनाम राज्य में न्यायालय संरक्षण समिति

/

लोकतांत्रिक अधिकार।संविधान पीठ ने किसी राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किए गए कथित संज्ञेय अपराध की सी. बी. आई. द्वारा जांच का निर्देश देने की उच्च न्यायालय  की शक्ति पर विस्तार से विचार किया है और यह विचार रखते हुए कि उच्च न्यायालय  के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत  व्यापक शक्तियां हैं, आगाह किया है कि अदालतों को कुछ स्व-लागू सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

/

*** *** ***

11. आक्षेपित  आदेश में, उच्च न्यायालय  ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत  अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है और सी. बी. आई. को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत  शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने या संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है।उच्च न्यायालय  ने इसका प्रयोग किया है

/

14 (2011) 12 एससीसी 328 15 (2006) 2 एससीसी 677 ए

/

श्री श्री राम जानकी जी अस्थान तपोवन

मंदिर बनाम झारखंड राज्य [हेमंत गुप्ता, जे.]

शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर कि तीन अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा 3 लाख रुपये के ऋण लेनदेन में उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति की ठीक से जांच नहीं की जा रही थी क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों में से एक पुलिस निरीक्षक है।हमारे सुविचारित विचार में, यह उन असाधारण स्थितियों में से एक नहीं थी जिसमें सी. बी. आई. द्वारा शिकायत की जांच का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय की असाधारण शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता थी। यदि उच्च न्यायालय ने पाया कि जांच पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि पी. कलाईकाथिरवन, एक पुलिस निरीक्षक, अभियुक्त व्यक्तियों में से एक थे, तो उच्च न्यायालय को पुलिस अधीक्षक को निर्देश देना चाहिए था कि वह धारा 154 (3) सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत पुलिस निरीक्षक के रैंक में वरिष्ठ अधिकारी को जांच सौंपें, न कि सी. बी. आई. को। 12.यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने पर जांच का प्रावधान करती है और जहां मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि पुलिस ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है या संतोषजनक रूप से जांच नहीं की है, तो वह पुलिस को जांच को ठीक से करने का निर्देश दे सकता है, और उसी की निगरानी कर सकता है। (साकिरी वासु को देखें

/

/

/

v. उत्तर प्रदेश राज्य 16) "

19. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि देवता किसी भी मामले में अपनी भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, मान्य नहीं है।अपीलार्थी भूमि के हस्तांतरण के अपने रुख के समर्थन में वैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करता है।यह व्यापक टिप्पणी कि आरोप सरकार और बोर्ड के खिलाफ हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी शामिल हैं, इसलिए मामले की जांच सी. बी. आई. द्वारा किए जाने की आवश्यकता है, पूरी तरह से असमर्थनीय है और सरकार और/या बोर्ड के खिलाफ ऐसी व्यापक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी।सरकार में कार्य विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है और कार्यपालिका के कार्य में अंतर्निहित नियंत्रण और संतुलन होता है।इसलिए, केवल इसलिए कि राज्य सरकार के एक पदाधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है, एक आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करेगा।इस प्रकार उच्च न्यायालय ने देवता की संपत्ति की बिक्री के मामले में सी. बी. आई. द्वारा जांच का निर्देश देने में अपने अधिकार क्षेत्र से बहुत आगे की यात्रा की है।इसके

अलावा, उच्च न्यायालय  ने धार्मिक न्यास की संपत्ति के संबंध में स्थानीय पुलिस को कोई शिकायत किए बिना निर्देश जारी किए हैं।

/

/

/

16 (2008) 2 एससीसी 409 ए

/

150

/

[2019] 8 एस सी आर।

20. यह ध्यान में रखा जा सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था (प्रविष्टि 1) और पुलिस (प्रविष्टि 2) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में आने वाला राज्य का विषय है।यह राज्य पुलिस की जांच एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में किए गए सभी अपराधों की जांच करे।पश्चिम बंगाल राज्य (उपरोक्त) मामले में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों में ही उसमें निर्दिष्ट शर्तों की संतुष्टि पर जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी जा सकती है।इस तरह की शक्ति का उपयोग जटिलताओं, अपराध की प्रकृति और कुछ समय के लिए राज्य की जांच एजेंसी के उच्च अधिकारियों से जुड़ी जांच में धीमी प्रगति की जांच किए बिना नियमित तरीके से नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए।

/

/

21. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय  ने किसी धार्मिक न्यास या देवता की संपत्ति बेचने के न्यासियों के अधिकारों से संबंधित मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने का निर्देश देने में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया है, जिससे नागरिक विवाद पैदा हो गया है।

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुज्ञात  है।उच्च न्यायालय  के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और इस प्रकार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/